न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट),अपर सेशन न्यायाधीश फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : : सरिता यादव ,RJS (DJ Cadre)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सीआईएस नम्बर 47/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :: 125/2025 पुलिस थाना सदर फतेहपुर

सीएनआर नम्बर RJSK160002762026

मनोज कुमार पुत्र चिमनाराम, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम गोडिया बड़ा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, फतेहपुर जिला सीकर राज०

–विपक्षी/अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

एफआईआर संख्या 125/2025 पुलिस थाना सदर फतेहपुर

एफआईआर अन्तर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट

आरोप अंतर्गत धारा 8/15, 29/15 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति:–

(1) श्री कपिल दहिया, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

(2) श्री जय कौशिक, अपर लोक अभियोजक– राजस्थान राज्य की ओर से।

–::**आदेश**::– **दिनांक :: 06.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार की ओर से जरिये अधिवक्ता हस्तगत प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–483 बीएनएसएस में प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दिलायी गयी तथा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है एवं उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के भौतिक कब्जे अधिकार से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई है तथा ना ही कोई बरामदगी करनी शेष है प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, वह परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है जिसके अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के भरण–पोषण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा उसके विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है

जिसमें उसे मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी का इस प्रकरण में प्रथम जमानत आवेदन पत्र है तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र लंबित नहीं है तथा सह अभियुक्त कुशबन्ना उर्फ कुशराज माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है। अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा बिना वैध प्राधिकार के 79.790 किलोग्राम डोडा पोस्त सह–अभियुक्त को उपलब्ध करवाया गया है जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं करते हुए हस्तगत जमानत प्रार्थना को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

4. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 20.06.2025 को उपनिरीक्षक रामनिवास (पुलिस थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान) द्वारा गश्त के दौरान लगभग 3.15 ए.एम. पर मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर ढाणी चतरदास तन रघुनाथपुरा में रेखाराम जाट के खेत में बने कमरे में विधिवत कार्यवाही करते हुए तलाशी लिये जाने पर लगभग 4.00 ए.एम. पर वहां पहुंचकर तलाशी लिये जाने पर कमरे का गेट कुण्डे से बंद होना पाया गया जिसे खोलकर कमरे में प्रवेश करने पर वहां पाये गये तीन कट्टों को चैक करने पर अनुभव के आधार पर डोडा पोस्त होना पाया गया तथा उपर्युक्त तीनों कट्टे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा छुपाकर रखे जाना पाया गया जिनमें रखे मादक पदार्थ का कुल वजन 79.790 किलोग्राम होना पाया गया। इसके बाद नियमानुसार नमूने लिये जाकर एफआईआर अंतर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त मनोज कुमार के माध्यम से उपर्युक्त मादक पदार्थ कुशबना उर्फ कुशराज सिंह से मंगवाये जाने के तथ्य पाये जाने पर प्रार्थी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा–8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया है।

5. इस प्रकार से इस प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा –8/15, 29/15 एनडीपीएस एक्ट में आरोप विरचित किया जाकर 5 गवाहों के बयान हो चुके हैं। यद्यपि प्रार्थी दिनांक 31.07.2025 से अभिरक्षा में है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है–

क्रम सं	अ.मय दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा	निर्णय मय दिनांक	न्यायालय का नाम
1	46/27–	363,366 ए	सदर फतेहपुर	सीएस नम्बर 48	दोषमुक्त	जेएम कोर्ट

	05-2016	भादंसं		दिनांक 21.07.2016	दिनांक 30.06.2019	फतेहपुर
2	114/28.08.2016	341,323 भादंसं	सदर फतेहपुर	सीएस नम्बर 77 दिनांक 23.09.16	500/- रूपये जुर्माना दिनांक 13.07.2020	जेएम कोर्ट फतेहपुर

साथ ही प्रार्थी को इस प्रकरण में अनुसंधान हेतु एफआईआर सं.306/2025 पीएस सदर सीकर अंतर्गत धारा-8/18 एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्रोडक्शन वारण्ट पर लिया गया है जिससे भी अभियुक्त के द्वारा इस तरह के अपराध करने की प्रवृत्ति जाहिर होती है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 29/15 एनडीपीएस एक्ट की प्रकृति तथा जब्त किये गये डोडा पोस्त की मात्रा 79.790 किलोग्राम होकर व्यावसायिक मात्रा में शामिल होने व प्रार्थी की स्थिति अन्य अभियुक्त कुशबन्ना उर्फ कुशराज से भिन्न होने से मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय खेत सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2021(2) सीजे (क्रि)(राज.)59 प्रतिपादित सिद्वान्त चस्पा नहीं होने एवं प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकार्ड व जब्त किये गये डोडा पोस्त की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र चिमनाराम, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम गोडिया बड़ा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत का आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-483 बीएनएसएस 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क दी जावे तथा आदेश की प्रति अभियुक्त को सूचनार्थ संबंधित कारागृह को भी जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(सरिता यादव)
विशिष्ट न्यायाधीश,(एनडीपीएस एक्ट) अपर सेशन न्यायाधीश
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

8. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सरिता यादव)
विशिष्ट न्यायाधीश, (एनडीपीएस एक्ट) अपर
सेशन न्यायाधीश
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 09:38:39 IST